भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1841

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों हेतु पैकेज

1841. श्री सी.एन. जयदेवनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने टाटा, अदानी और एस्सार समूहों के संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों हेतु एक राहत पैकेज बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने टाटा, अदानी तथा एस्सार ग्रुप्स के संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों हेतु कोई राहत पैकेज तैयार नहीं किया है, तथा इन संयंत्रों की वित्तीय स्थिति संबंधी कोई सूचना एकत्र नहीं की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1862

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्थल

1862. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मौजूदा चार्जिंग स्थलों की संख्या कितनी है और उनकी अवस्थिति क्या है;

(ख) क्या मौजूदा चार्जिंग स्थल आवश्यकता से कम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को यह कार्य देने का है या इसका ठेका निजी क्षेत्र को देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार की फास्टर एडोप्शन एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (एफएएमई) योजना के अंतर्गत पायलट परियोजना के रूप में मैसर्स महिंद्रा आरईवीए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लि. द्वारा बैंगलुरू में 6 विभिन्न स्थानों पर पच्चीस (25) चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं।

(ख) से (घ) : एफएएमई योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चुनिंदा शहरों/स्थानों में चार्जिंग अवसंरचना को भारी उद्योग विभाग द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा। सचिव (भारी उद्योग विभाग) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं संस्वीकृति समिति ने एफएएमई भारत योजना के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना का निम्नलिखित प्रस्ताव संस्वीकृत किया है :

क्रम सं.	प्रस्ताव	कार्यान्वयन संगठन	संस्वीकृति की तारीख (पीआईएससी बैठक की तारीख)
1.	दिल्ली एनसीआर में 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	20 अगस्त, 2015
2.	दिल्ली एनसीआर में 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल)	20 अगस्त, 2015
3.	दिल्ली, जयपुर तथा चंडीगढ़ में 200 चार्जिंग स्टेशन (एसी तथा डीसी दोनों) स्थापित करने का प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआआईएल)	15 जून, 2017
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 75 एसी स्मार्ट चार्जर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव	महिंद्रा-रेवा-ओला-एशिया इलेक्ट्रिक का समूह	15 जून, 2017
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 60 चार्जिंग अवसंरचना के लिए प्रस्ताव	लिथियम अरबन टैक्नोलोजीज प्रा. लि.	15 जून, 2017

ई-मोबिलिटी व्यवसाय जिसमें व्हीकल चार्जिंग अवसंचना की स्थापना शामिल है, में विद्युत की आपूर्ति भी एनटीपीसी की दीर्घकालिक कारपोरेट योजना में शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1866

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

कोयला चालित संयंत्र

1866. श्री जी. हरिः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयला चालित संयंत्रों को उन्नयन हेतु और अधिक समय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने प्रदूषणकारी संयंत्रों को अति-महत्वपूर्ण और अति-कुशल संयंत्रों से प्रतिस्थापित किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पुराने कोयला प्रज्जवलित ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन का उन्नयन नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) तथा जीवन विस्तार (एलई) प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है जिससे उनकी दक्षता तथा उपलब्धता में वृद्धि होती है। आरएण्डएम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बनाए रखने तथा डिजाइन, कठोर पर्यावरणीय स्थितियों, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं इत्यादि के संबंध में जातीय दोषों, डिजाइन की कमियों/आशोधनों, प्रचलित उपस्कर/प्रणालियों और अंतिम मानकों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर काबू पाना है।

आरएण्डएम/एलई कार्य संबंधित राज्य तथा केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा उनकी आवश्यकताओं, प्रचलित ग्रिड परिस्थिति तथा उनकी वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए किए जाते हैं। पुराने कोयला प्रज्जवलित ताप उत्पादन संयंत्रों का उन्नयन करने के लिए कोई विशिष्ट समय विस्तार नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) : पुरानी यूनिटों को सुपरक्रिटिकल यूनिटों से बदलने का निर्णय संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा अन्य पहलुओं के अतिरिक्त ग्रिड स्थिरता, विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान में रखकर विभिन्न पणधारकों जैसे डिस्कॉमों, पारेषण् यूटिलिटियों इत्यादि के साथ परामर्श के बाद किया जाता है।

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल तथा कोयले का संरक्षण करने के लिए संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आवश्यक इनपुट जैसे भूमि, जल, ईंधन इत्यादि की उपलब्धता पर आधारित 18,560 मेगावाट की कुल क्षमता वाले सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों से बदलने के लिए 7,738 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पुराने एवं अकुशल ताप विद्युत संयंत्रों/यूनिटों की पहचान की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1883

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

एसईबी की हानियां

1883. श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) वाणिज्यिक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक एसईबी को हुए घाटे का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच हेतु किसी कार्यकारी समूह का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटियों की औसत हानियां नीचे दी गई हैं:

	2012-13	2013-14	2014-15
प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ/(हानि) (रुपये करोड़ में)	(71,621)	(67,336)	(58,275)

राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्य यूटिलिटियों द्वारा उठाई जा रही हानियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा ऋण की अधिक लागत, विद्युत की अधिक लागत, अधिक एटीएंडसी हानियां और कम राजस्व वसूली शामिल हैं।

(ग) से (ङ) : सरकार द्वारा किसी कार्यदल का गठन नहीं किया गया है। तथापि, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्यों/यूटिलिटियों के साथ सरकार द्वारा व्यापक पणधारक परामर्श के आधार पर सरकार ने डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए 20 नवंबर, 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (डिस्कॉम) की शुरुआत की है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने और राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू करते समय ब्याज की लागत और विद्युत की लागत को कम करना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में दो स्कीमों अर्थात् एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरु की है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

हुई हानियों का राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा (रुपए करोड़ में)								
			2012-13		2013-14		2014-15	
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	प्रौद्भूत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्भूत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्भूत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ/(हानि)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1,088	-1,088		0		0
		एनबीपीडीसीएल	-56	-56	-74	-74	-297	-491
		एसबीपीडीसीएल	-84	-84	-269	-269	-748	-748
	बिहार कुल		-1,227	-1,227	-343	-343	-1,044	-1,239
	झारखण्ड	जेएसईबी	-2,668	-2,668	-3,950	-3,950		0
		जेबीवीएनएल		0	-71	-71	-37	-37
	झारखण्ड कुल		-2,668	-2,668	-4,021	-4,021	-37	-37
	ओडिशा	सीईएसयू	-316	-316	-199	-199	-202	-202
		एनईएससीओ	-77	-77	-45	-45	-123	-123
		एसईएससीओ	-34	-34	-11	-11	-379	-379
		डब्ल्यूईएससीओ	-132	-132	-87	-87	-224	-224
	ओडिशा कुल		-559	-559	-342	-342	-929	-929
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	39	39	33	33	-126	-126
	सिक्किम कुल		39	39	33	33	-126	-126
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	82	82	19	19	20	20
	पश्चिम बंगाल कुल		82	82	19	19	20	20
पूर्वी कुल			-4,332	-4,332	-4,654	-4,654	-2,116	-2,310
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-255	-255	-428	-428	-257	-257
	अरुणाचल प्रदेश कुल		-255	-255	-428	-428	-257	-257
	असम	एपीडीसीएल	-418	-568	-528	-693	-578	-578
	असम कुल		-418	-568	-528	-693	-578	-578
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-315	-315	-194	-194		0
		एमएसपीडीसीएल		0		0	0	0
	मणिपुर कुल		-315	-315	-194	-194	0	0
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मेघालय कुल		-221	-221	-295	-295	-202	-202
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-200	-200	-192	-192	-192	-192
	मिजोरम कुल		-200	-200	-192	-192	-192	-192
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-212	-212	-191	-191	-315	-315
	नागालैंड कुल		-212	-212	-191	-191	-315	-315
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-107	-107	-62	-62	-60	-82
	त्रिपुरा कुल		-107	-107	-62	-62	-60	-82
पूर्वोत्तर कुल			-1,730	-1,880	-1,891	-2,056	-1,603	-1,625
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	21	21	8	8	63	63
		बीएसईएस यमुना	25	25	11	11	19	19
		टीपीडीडीएल	310	310	334	334	336	336
	दिल्ली कुल		356	356	353	353	418	418
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-1,352	-1,352	-2,089	-2,089	-636	-636
		यूएचबीवीएनएल	-2,297	-2,297	-1,465	-1,465	-1,481	-1,481
	हरियाणा कुल		-3,649	-3,649	-3,554	-3,554	-2,117	-2,117
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	-340	-340	-137	-137	-125	-125
	हिमाचल प्रदेश कुल		-340	-340	-137	-137	-125	-125
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		-3,129	-3,129	-2,387	-2,387	-3,913	-3,913

	पंजाब	पीएसपीसीएल	261	94	249	249	133	-1,100
	पंजाब कुल		261	94	249	249	133	-1,100
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-3,905	-3,905	-4,843	-4,843	-3,593	-3,593
		जेडीवीवीएनएल	-4,285	-4,285	-5,299	-5,299	-4,146	-4,146
		जेवीवीएनएल	-4,161	-4,161	-5,503	-5,503	-4,735	-4,735
	राजस्थान कुल		-12,351	-12,351	-15,645	-15,645	-12,474	-12,474
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-3,364	-3,364	-5,521	-5,521	-2,936	-2,936
		केईएससीओ	-545	-545	-674	-674	-168	-168
		एमवीवीएन	-2,033	-2,033	-3,263	-3,263	-1,994	-1,994
		पश्च वीवीएन	-1,303	-1,303	-3,172	-3,172	-1,577	-1,577
		पूर्व वीवीएन	-2,533	-2,533	-4,095	-4,095	-2,000	-2,000
	उत्तर प्रदेश कुल		-9,778	-9,778	-16,724	-16,724	-8,675	-8,675
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	-16	-16	323	323	-260	-260
	उत्तराखण्ड कुल		-16	-16	323	323	-260	-260
उत्तरी कुल			-28,647	-28,814	-37,521	-37,521	-27,012	-28,245
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	-7,718	-7,718	-811	-811		0
		एपीईपीडीसीएल	-1,681	-1,681	-136	-136	-722	-722
		एपीएनपीडीसीएल	-3,436	-3,445	-31	-31		0
		एपीएसपीडीसीएल	-4,673	-4,678	-401	-401	-1,675	-1,827
	आंध्र प्रदेश कुल		-17,508	-17,522	-1,379	-1,379	-2,397	-2,549
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	-433	-433	76	76	113	113
		सीएचईएससीओएम	-270	-337	-16	-72	40	37
		जीईएससीओएम	-189	-189	38	38	-110	-110
		एचईएससीओएम	41	41	-576	-576	30	30
		एमईएससीओएम	13	13	0	0	14	14
	कर्नाटक कुल		-838	-905	-478	-534	88	85
	केरल	केएसईबी	241	241	140	140		0
		केएसईबीएल		0	-24	-24	-1,273	-1,273
	केरल कुल		241	241	116	116	-1,273	-1,273
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	-308	-308	-60	-60	157	157
	पुडुचेरी कुल		-308	-308	-60	-60	157	157
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तमिलनाडु कुल		-11,679	-12,064	-13,985	-14,052	-12,757	-12,757
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल		0		0	-1,343	-1,741
		टीएसएसपीडीसीएल		0		0	-1,171	-1,171
	तेलंगाना कुल			0		0	-2,513	-2,912
दक्षिणी कुल			-30,092	-30,559	-15,786	-15,909	-18,695	-19,249
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	छत्तीसगढ़ कुल		-498	-498	-630	-630	-1,554	-1,569
	गोवा	गोवा पीडी	-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गोवा कुल		-285	-285	-4	-4	-17	-17
	गुजरात	डीजीवीसीएल	25	25	52	52	51	51
		एमजीवीसीएल	21	21	19	19	29	29
		पीजीवीसीएल	11	11	10	10	11	11
		यूजीवीसीएल	14	14	14	14	17	17
	गुजरात कुल		71	71	95	95	108	108
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-1,593	-1,595	-2,672	-2,672	-2,728	-2,765
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,425	-1,425	-1,811	-1,811	-1,061	-1,061
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,432	-1,432	-1,887	-1,893	-1,162	-1,175
	मध्य प्रदेश कुल		-4,450	-4,452	-6,370	-6,376	-4,950	-5,001
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-871	-871	-280	-280	-366	-366
	महाराष्ट्र कुल		-871	-871	-280	-280	-366	-366
पश्चिमी कुल			-6,034	-6,036	-7,190	-7,196	-6,780	-6,845
सकल योग			-70,835	-71,621	-67,041	-67,336	-56,206	-58,275

स्रोत : पीएफसी

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1897

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

यू.एम.पी.पी. हेतु क्षमता से अधिक भारित डंप

1897. श्री गणेश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यू.एम.पी.पी.) के रक्षित कोयला ब्लॉकों के क्षमता से अधिक भारित (ओ.बी.) पाटन क्षेत्र हेतु सासन पावर लिमिटेड (एस.पी.एल.) को 414 हेक्टेयर भूमि स्थानांतरित करने हेतु पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सासन पावर लिमिटेड द्वारा बिना अधिकारों के हस्तांतरित किये क्षमता से अधिक भारित पाटन प्रयोजन हेतु अस्थायी आधार पर भूमि का उपयोग किए जाने हेतु सौंपे गये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूमि के हस्तांतरण में विलंब के परिणामस्वरूप राज्य में कम विद्युत उत्पादन होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : अतिरिक्त भार को डंप करने के उद्देश्य से अस्थायी आधार पर लगभग 498 हेक्टेयर भूमि, जो नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड ने कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिगृहित की है, के उपयोग की अनुमति देने के लिए सासन पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की कोयला मंत्रालय में जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार से 498 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व, दिए गए मुआवजे की स्थिति तथा नामांतरण के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से उत्तर अभी प्राप्त होना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1899

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत की मांग

1899. श्री लखन लाल साहूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में देश में उक्त क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता को चिन्हित करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) आगामी दो वर्षों के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा कितनी विद्युत प्रदान किये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नवीनतम वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, देश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को इलैक्ट्रिकल ऊर्जा बिक्री (आपूर्ति) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : वर्ष 2015-16 के लिए घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अखिल भारतीय खपत क्रमशः 2,38,875.69 मिलियन यूनिट (एमयू), 1,73,185.37 एमयू और 2,85,696.28 मिलियन यूनिट है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2017 में प्रकाशित 19वीं इलैक्ट्रिकल विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अखिल भारतीय

इलैक्ट्रिकल ऊर्जा खपत क्रमशः 3,86,790 मिलियन यूनिट, 2,76,277 मिलियन यूनिट और 3,86,450 मिलियन यूनिट का अनुमान लगाया गया है।

(घ) : उक्त क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।

(ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

(iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।

(v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।

(vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।

(vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

(ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के जरिए केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करती है। औद्योगिक, घरेलू और कृषि क्षेत्रों सहित उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की व्यवस्था करना और उसका वितरण करना तथा किसी राज्य में आपूर्ति की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1899 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आधारभूत उपभोक्ता श्रेणी-वार/राज्य-वार यूटिलिटियों को इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आपूर्ति 2015-16

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घरेलू	कृषि	औद्योगिक विद्युत
उत्तरी क्षेत्र			
चंडीगढ़	656.63	1.83	268.70
दिल्ली	12,826.33	29.58	3,134.43
हरियाणा	6,949.00	9,506.00	10,046.12
हिमाचल प्रदेश	1,942.22	51.65	4,603.81
जम्मू व कश्मीर	2,927.49	305.00	1,390.60
पंजाब	11,859.47	11,513.88	12,557.71
राजस्थान	10,568.21	19,968.35	12,864.31
उत्तर प्रदेश	28,275.16	12,671.19	16,764.94
उत्तराखंड	2,391.15	141.03	5,454.75
उप-जोड़ (एनआर)	**78,395.66**	**54,188.51**	**67,085.37**
पश्चिमी क्षेत्र			
छत्तीसगढ़	4,986.99	4,025.24	7,170.79
गुजरात	13,378.02	11,204.49	44,055.40
मध्य प्रदेश	10,967.39	18,868.19	9,597.31
महाराष्ट्र	27,927.27	28,396.58	34,223.65
दमन व दीव	88.28	2.46	1,533.89
दादर व नागर हवेली	98.86	8.63	4,621.83
गोवा	1,010.00	18.00	1,962.20
उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	**58,456.81**	**62,523.59**	**1,03,165.07**
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	11,493.91	10,970.00	14,700.61
तेलंगाना	9,940.30	11,991.48	11,444.21
कर्नाटक	11,313.56	19,318.48	15,838.64
केरल	10,070.02	288.16	4,126.89
तमिलनाडु	23,928.64	11,548.33	30,130.65
पुडुचेरी	655.84	54.70	1,447.32
लक्षद्वीप	34.09	0.00	0.30
उप-जोड़ (एसआर)	**67,436.36**	**54,171.15**	**77,688.62**
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार (प्रस्तावित)	5,470.55	344.33	2,040.22
झारखंड (अनुमानित) $	4,183.70	97.98	11,218.75
ओडिशा	6,220.86	265.83	6,057.02
पश्चिम बंगाल $	13,470.26	1,524.26	15,974.51
सिक्किम	129.28	0.00	135.50
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	125.15	0.00	15.42
उप-जोड़ (एनआर)	**29,599.80**	**2,232.40**	**35,441.42**
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	164.13	0.00	88.70
असम	3,116.00	34.00	1,483.00
मणिपुर	298.85	1.79	23.82
मेघालय	423.00	0.00	613.67
मिजोरम	217.75	0.02	9.17
नागालैंड	327.56	0.00	54.42
त्रिपुरा	439.77	33.91	43.01
उप-जोड़ (एनईआर)	**4,987.06**	**69.72**	**2,315.79**
कुल अखिल भारत)	**2,38,875.69**	**1,73,185.37**	**2,85,696.28**

टिप्पणी:- $ - झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आधारभूत उपभोक्ताओं को डीवीसी की बिक्री सहित

क - औद्योगिक में शामिल (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज)

ख - औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1911

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन

1911. श्रीमती नीलम सोनकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोयले के प्रयोग से विद्युत उत्पादन करने वाले विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता खराब है या उसकी मात्रा अपर्याप्त है जिसके कारण विदेश से कोयले का आयात किया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित कोयले से घरेलू कोयले की तुलना में ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन के लिए घरेलू कोयले की बजाय आयातित कोयले को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल संख्या 192 है।

(ख) : विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किया गया घरेलू कोयला विभिन्न कैलोरिफिक वैल्यू के साथ विभिन्न श्रेणियों का होता है। आयातित कोयले के आधार पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में विद्युत स्टेशनों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति है।

(ग) और (घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की मात्रा संयंत्र की स्टेशन हीट रेट (एसएचआर) (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा) और उपयोग किए गए कोयले की ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) (किलो कैलोरी/किलोग्राम) पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसी संयंत्र में प्रयुक्त किए गए कोयले की उसी मात्रा के लिए उच्च जीसीवी वाला कोयला अपेक्षाकृत कम जीसीवी वाले कोयले की तुलना में अधिक बिजली का उत्पादन करेगा।

(ङ) : सरकार विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले के आयात को प्रोत्साहन नहीं देती है। कुछ बिजली उत्पादकों ने विशेषत: तटवर्ती क्षेत्रों में आयातित कोयले के प्रयोग के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1919

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

नए विद्युत संयंत्र

1919. श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गुजरात राज्य से विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों एवं सरकार के पास अब तक लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कर सकती है। यदि यह ग्रिड की संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों की अनुपालना करती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोटें (डीपीआर) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में (5,865 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता से) 6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, सीईए से सहमति/मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई हैं। इन सभी प्रस्तावों को सीईए द्वारा सहमति दी गई है/मूल्यांकन किया गया है, इनका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में सीईए से

सहमति प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य में किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना की डीपीआर प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 11,321 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से 18 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं की डीपीआर, जिसमें से प्रत्येक की लागत 1000 करोड रुपए से अधिक है, पर सहमति/मूल्यांकन प्रदान किया गया है, जबकि 3,924 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ 9 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/ केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी)/ केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस)/ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के विभिन्न मूल्यांकन समूहों के पास हैं।

सीईए, पूर्ण डीपीआर के प्रस्तुत करने की तिथि से मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए विकासकर्ता द्वारा लिए गए समय को छोड़कर 150 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, जहां तक संभव है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की सहमति देने का प्रयास करता है। तथापि, कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की डीपीआर के मामले में सहमति/मूल्यांकन में देरी हुई है। डीपीआर की सहमति में देरी के मुख्य कारणों में है विश्वसनीय डीपीआर बनाने में विकासकर्ताओं की ओर से देरी, भूवैज्ञानिक जांचों, गणितीय मॉडल अध्ययनों, जलविद्युत भंजन परीक्षणों, सूक्ष्म भूकंप, अध्ययनों (एमईक्यू) आदि सहित अपेक्षित अध्ययनों का पूरा न किया जाना और विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों पर समय से स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1919 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीईए द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई डीपीआर का ब्यौरा

क्रम सं.	जल विद्युत परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	930
2.	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	540
3.	दुगर	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएचपीएल	449
4.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880
5.	टुर्गा पीएसएस	पश्चिम बंगाल	राज्य	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1000
6.	लोकटक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	केंद्रीय	एलडीएचसीएल	66
				कुल	**5865**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1948

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

परंपरागत ऊर्जा

1948. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत वर्ष के उक्त मास की ही तुलना में फरवरी, 2017 में परंपरागत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ताप ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन देश की कुल आपूर्ति की 92 प्रतिशत से अधिक विद्युत का मुख्य स्रोत यही रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग 265 गीगावाट की कुल निगरानी क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत वर्ष के संगत माह के दौरान 89,011.13 मिलियन यूनिटों की तुलना में फरवरी, 2017 के दौरान पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन 89,285.92 एमयू था।

(ख) से (घ) : फरवरी, 2016 में 79,661.24 एमयू की तुलना में फरवरी, 2017 में ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 79,893.22 एमयू था। फरवरी, 2017 में ताप विद्युत उत्पादन कुल उत्पादन का 89.25% था। फरवरी, 2017 में लगभग 265 गीगावाट की कुल निगरानी की गई क्षमता के माध्यम से लगभग 89,285.92 एमयू का कुल विद्युत उत्पादन हासिल किया गया था।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1949

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

1949. श्री दिव्येन्दु अधिकारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन 700 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है जहां एक भी पर्यावास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावासहीन गांवों में धन व्यय करने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे गांवों के साथ ज्वाइनिंग ग्रिडों हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है; और

(घ) देश में "सभी के लिए विद्युत" परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे, इनमें से 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार 962 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव गैर-आबादी वाले पाए गए तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत इन गैर-आबादी वाले गाँवों में कोई विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया है।

(घ) : भारत सरकार ने सभी को 24X7 विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। "सभी के लिए 24X7 बिजली" दस्तावेजों पर देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1954

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय एकीकृत विद्युत विकास याजना (आईपीडीएस)

1954. एडवोकेट जोएस जॉर्जः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) सफलतापूर्वक चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से पारेषण और वितरण (टीएण्डडी) नेटवर्क मजबूत होगा, शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत मीटर लगेंगे और यह सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्मार्ट बनेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्य सरकारें इस योजना से जुड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उपयोग में लाई गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केरल राज्य ने बिना किसी देरी के आवंटित निधि का उपयोग कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2014 को कुल 32,612 करोड़ रुपए के परिव्यय और 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) स्कीम अनुमोदित की गई थी। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 538 सर्कलों में 26,133 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है और 3,331 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है। 17,399 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं।

(ग) और (घ) : इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित घटकों के साथ शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापरक और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध करवाना है :

- शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण ;
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- आर-एपीडीआरपी के अन्तर्गत वितरण क्षेत्र को आईटी युक्त बनाना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण शुरू किया जा रहा है।
  आईपीडीएस के अन्तर्गत 750 करोड़ रुपए मूल्य की नई आई टी युक्त परियोजनाओं को भी संस्वीकृत किया गया है।

(ङ) और (च) : आईपीडीएस के अन्तर्गत, 29 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(छ) : 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार, केरल ने आईपीडीएस के अन्तर्गत 623.42 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं और 107.74 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1954 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

रुपए करोड़ में

क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजना संस्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**
1	हरियाणा	391	24
2	हिमाचल प्रदेश	111	9
3	जम्मू व कश्मीर	447	38
4	पंजाब	326	20
5	राजस्थान	1310	150
6	उत्तर प्रदेश	4789	856
7	उत्तराखंड	204	16
8	दिल्ली	198	0
9	मध्य प्रदेश	1509	111
10	गुजरात	1149	203
11	छत्तीसगढ़	557	64
12	महाराष्ट्र	2417	264
13	गोवा	32	0
14	आंध्र प्रदेश	675	107
15	तेलंगाना	678	39
16	कर्नाटक	1144	145
17	केरल	623	108
18	तमिलनाडु	1569	279
19	पुडुचेरी	22	0
20	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	18	0
21	बिहार	2111	336
22	झारखंड	735	44
23	पश्चिम बंगाल	2940	212
24	ओडिशा	1083	183
25	असम	585	50
26	अरुणाचल प्रदेश	151	13
27	नागालैंड	44	4
28	मणिपुर	130	32
29	मेघालय	62	5
30	मिजोरम	49	12
31	त्रिपुरा	74	6
	कुल	**26133**	**3331**

स्रोत : पीएफसी

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1957

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ऊर्जा सुरक्षा

1957. श्री आर.पी. मरुदराजाः
श्री छेदी पासवानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में राज्य-वार क्या आकलन किया गया है;

(ग) क्या देश को उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में विश्व आर्थिक मंच के "ग्लोबल एनर्जी, आर्किटेक्चर परफोर्मेंस इन्डेक्स रिपोर्ट-2017" का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर उल्लेखित इन्डेक्स के विभिन्न सूचकांकों के तहत भारत की रेटिंग कितनी है; और

(ङ) देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध करवाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा की चिंता का समाधान किया जाता है। ओवरचार्जिंग नीते होने के कारण इसमें कोई राज्य विशिष्ट ब्यौरा नहीं दिया जाता है।

(ग) और (घ) : बेहतर ऊर्जा सुरक्षा, जो सामान्यतः कम आयात निर्माता से जुड़ी होती है, पब्लिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत कोयले का आयात करते हुए भी तेल तथा गैस आयातों पर निर्भर रहता है। जहां तक

निर्यात बाधित होने का सवाल है, इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा क्षीण हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा में आयातों के स्रोतों की विविधता तथा ऊर्जा के बढ़े हुए घरेलू उत्पादन तथा कम हुई आवश्यकता, दोनों के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (weforum.org) की वेबसाइट पर उपलब्ध "ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट-2017" के अनुसार उपर्युक्त तालिका के विभिन्न संकेतकों के अंतर्गत भारत की रेटिंग इस प्रकार हैः

क्रम सं.	तालिका घटक	रैंक
1	आर्थिक वृद्धि एवं विकास	64
2	पर्यावरणीय स्थिरता	109
3	ऊर्जा पहुँच एवं सुरक्षा	95

उपर्युक्त तालिका के अंतर्गत, वर्ष 2017 के लिए भारत की समग्र रैंकिंग 87 है।

(ङ) : देश में प्रत्येक नागरिक द्वारा अपेक्षित विद्युत की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।

(ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

(iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।

(v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।

(vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।

(vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

(ix) भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की योजना बनाई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1987

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत क्षेत्र में निवेश

1987. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल विद्युत क्षेत्र में निवेश को सुकर बनाने के लिए नोडल एजेंसी का गठन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2002

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

शनन जलविद्युत परियोजना

2002. श्री रामस्वरूप शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थापित 110 मेगावाट क्षमता की शनन जलविद्युत परियोजना की हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच स्वामित्व विवाद के कारण उपेक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिमाचल प्रदेश को परियोजना का स्वामित्व सौंपने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 110 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से शनन जल विद्युत परियोजना का प्रचालन और रख-रखाव पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। पीएसपीसीएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच कोई स्वामित्व का विवाद नहीं है।

तथापि, शनन पावर हाउस के रख-रखाव के संबंध में प्राप्त संदर्भ के संबंध में सीईए द्वारा दिसंबर, 2015 में एक दल का गठन किया गया था जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और एनएचपीसी लिमिटेड से अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सूचना दी कि परियोजना में प्रमुख मरम्मत/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य और विद्युत संयंत्र की दक्षता, निरंतरता, सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन के लिए सभी संवर्ग एवं क्षेत्रों में जनशक्ति को लगाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, सीएमडी, पीएसपीसीएल से समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, परियोजना का रख-रखाव करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। तत्काल सुधारात्मक उपायों के लिए इन मामलों को पंजाब सरकार के ध्यान में भी लाया गया था।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2006

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

पारेषण परियोजनाएं

2006. श्री बैजयंत जे पांडाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षमता में वृद्धि करने के लिए बोली हेतु पारेषण परियोजनाओं को लिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हां, वर्तमान में जो 6 अधिसूचित पारेषण योजनाएं बोली प्रक्रिया के अधीन हैं, जो इस प्रकार है:

1. नए पश्चिमी क्षेत्र - उत्तरी क्षेत्र 765 केवी अन्तर क्षेत्रीय कॉरीडोर।
2. फतेहगढ़, जिला जैसलमेर, राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हेतु पारेषण प्रणाली।
3. गोवा के लिए अतिरिक्त 400 केवी का प्रबंध करना तथा रायगढ़ (तमनार) पूल में पूल्ड उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली।
4. मध्यप्रदेश में छत्तरपुर क्षेत्र में लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) तथा अन्तर राज्यीय पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली।
5. शांगटांग करछम एचईपी से एचपीपीसीएल 450 मेगावाट के लिए कनेक्टिविटी तथा दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए)।
6. पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना - XXI (ईआरएसएस-XXI)।

(ग) और (घ) : जी हां, विद्युत क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेष/अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में कोर समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल), टाटा पावर कंपनी तथा स्टीरलाइट पावर, के सदस्य शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2010

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

बंद पड़े संयंत्रों का पुनरुद्धार

2010. श्री हरीश मीनाः
श्री जैदेव गल्लाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विद्युत पारेषण के विस्तार के लिए देशभर में बंद पड़े विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का केवल बंद पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तापीय और अन्य क्षेत्र को छोड़ दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान, सरकार ने विद्युत क्षेत्र में दबाव के प्रमुख कारणों को चिन्हित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) नियमित ईंधन आपूर्ति प्रबंधन का उपलब्ध न होना।
(ii) विद्युत क्रय करार (पीपीए) टाई अप का अभाव।
(iii) इक्विटी और सेवा ऋण प्रदान करने के लिए प्रवर्तक की असमर्थता।
(iv) विनियामक और संविदा संबंधी मामले।

सरकार ने क्षेत्र में कठिनाई कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नियमित कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का प्रयोग करने और आबंटन करने के लिए स्कीम) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत पहले से किए गए दीर्घावधि विद्युत करारों (पीपीए) एवं भविष्य में निष्कर्ष किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला उपलब्ध करवाया जाता है।

2. विद्युत की खरीद को बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

    क. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्न अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

    ख. प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यापार, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्थापना के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल

    ग. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई); ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

    घ. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस): शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण।

    ङ. पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।

    च. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयला के उपयोग में लचीलापन।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2017

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल भारत योजना

2017. श्रीमती रीती पाठकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उज्ज्वल भारत योजना जिसका अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ देश में सभी ग्रामीण, शहरी और सुदूर क्षेत्रों में बाधा रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है को शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पहलों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान वित्त पोषण और कार्यान्वयन पद्धति को पूर्ण रूप से बदलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : सरकार द्वारा 'उज्ज्वल भारत योजना' शीर्षक से कोई भी योजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, सरकार द्वारा वर्ष 2019 तक 24X7 सस्ती एवं पर्यावरण के अनुकूल "सभी को बिजली" उपलब्ध करवाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं :

i. सूचित गैर-विद्युतीकृत 18,452 गांवों का विद्युतीकरण (1/4/2015 की स्थिति के अनुसार): 24/07/2017 की स्थिति के अनुसार, 14,028 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
ii. उत्पादन, पारेषण क्षमता एवं वितरण प्रणाली की पर्याप्तता को शामिल करते हुए सभी को 24X7 बिजली हेतु राज्य विशिष्ट कार्य-योजना तैयार करना।
iii. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत।
iv. शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) की शुरुआत।
v. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचलनीकरण।
vi. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत।
vii. कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत में कमी।
viii. नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए हरित ऊर्जा कॉरीडोर का कार्यान्वयन।

(घ) और (ङ) : डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस एवं पीएसडीएफ के विद्यमान वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन के पैटर्न में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2024

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युतीकरण की कवरेज

2024. श्री राजेश कुमार दिवाकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में 45 प्रतिशत लोगों को आज भी विद्युत सुविधा नहीं मिल पाई है;

(ख) यदि हां, तो अभी भी जो लोग विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घर थे और 7.50 करोड़ ग्रामीण घर गैर-विद्युतीकृत थे। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

दिनांक 30.06.2017 तक की स्थिति के अनुसार 2.63 करोड़ बीपीएल घरों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) : सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने (i) ग्रामीण विद्युतीकरण; (ii) घरों तक बिजली पहुँचाने; (iii) फीडर पृथक्करण; (iv) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और (v) मीटरिंग के उद्देश्यों से दिसंबर, 2014 में 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) नाम की एक विस्तृत स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को नि:शुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं और गरीबी रेखा से ऊपर के घरों को संबंधित राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा बिजली के कनेक्शन मौजूदा नियमों के अनुसार दिए जाते हैं।

सभी घरों को '24 घंटे' बिजली उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का होता है। तथापि, राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करने के लिए भारत सरकार ने राज्य की नीति के अनुसार सभी आवासों/घरों, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने और उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों के तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ "सभी के लिए 24X7 बिजली" करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2024 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जनगणना 2011 के अनुसार आरएचएच के विद्युतीकरण की स्थिति

(आंकड़े करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्रामीण बीपीएल घरों को उपलब्ध कराए गए निःशुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन (30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.15	0.26
3	तेलंगाना		0.07
4	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01
5	असम	0.39	0.12
6	बिहार	1.52	0.43
7	चंडीगढ़	0.00	0.00
8	छत्तीसगढ़	0.13	0.11
9	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00
10	दमन व दीव	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00
12	गुजरात	0.10	0.08
13	हरियाणा	0.04	0.02
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
15	जम्मू एवं कश्मीर	0.03	0.01
16	झारखंड	0.32	0.13
17	कर्नाटक	0.10	0.10
18	केरल	0.03	0.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.46	0.18
21	महाराष्ट्र	0.34	0.12
22	मणिपुर	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.01
24	मिजोरम	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01
26	एनसीटी दिल्ली	0.00	0.00
27	ओडिशा	0.52	0.28
28	पुडुचेरी	0.00	0.00
29	पंजाब	0.01	0.01
30	राजस्थान	0.40	0.12
31	सिक्किम	0.00	0.00
32	तमिलनाडु	0.09	0.05
33	त्रिपुरा	0.02	0.01
34	उत्तर प्रदेश	1.94	0.21
35	उत्तराखंड	0.02	0.02
36	पश्चिम बंगाल	0.82	0.22
सकल योग		**7.50**	**2.63**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2043

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गाँवों का विद्युतीकरण

2043. श्री पंकज चौधरीः
श्रीमती अंजू बालाः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्रीमती हेमामालिनीः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री आर. गोपालकृष्णनः
श्री अजय मिश्रा टेनीः
श्री वी. एलुमलाई:
श्री श्यामा चरण गुप्तः
श्री इन्नोसेन्टः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) देश में गाँवों की संख्या कितनी है और उनमें से उन गाँवों की संख्या कितनी है जिनका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है और देश में राज्य-वार सभी गाँवों को कब तक विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ राज्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन में पीछे चल रहे हैं, यदि हां, तो गाँवों के विद्युतीकरण और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को बिजली कनेक्शन की दृष्टि से निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(घ) बारहवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्र सरकार द्वारा उस पर किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार को मिली हैं जिसमें गाँवों को विद्युतीकृत के रूप में दर्शाया गया है किंतु वास्तव में उन गाँवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है या विद्युतीकरण का काम अपूर्ण है और यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार छूट गए गाँवों/क्षेत्रों को बिजली प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण

विद्युतीकरण की प्रगति इस प्रकार है :

क्रम सं.	वर्ष	गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत किए गए	बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन (लाख में)
1	2014-15	1,405	7.59
2	2015-16	7,108	14,39
3	2016-17	6,015	22.42

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। 30.6.2017 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 13,872 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं तथा 962 गांव बिना आबादी वाले पाए गए। शेष गांवों को 1 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वन एवं रेलवे स्वीकृतियों में विलंब, 33/11 केवी उपकेंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण, मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) मामले, बीपीएल सूचियां उपलब्ध कराने, नक्सलवाद की समस्या तथा कठिन भू-भाग सहित कानून एवं व्यवस्था के मामलों के कारण कुछ राज्यों को छोड़कर गांवों के विद्युतीकरण के लिए अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए राज्य-वार लक्ष्य तथा उपलब्धि क्रमशः **अनुबंध-II एवं III** में दी गई है।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 12वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कुल 4345 नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे तथा निगरानी समिति, भारत सरकार द्वारा उन सभी प्रस्तावों को संस्वीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ) : गांवों के विद्युतीकरण संबंधी सूचना संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा गांव विद्युतीकृत के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा उन गांवों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिनमें गांवों को विद्युतीकृत दर्शाया गया हो लेकिन वास्तव में वे विद्युतीकृत नहीं किए गए हो अथवा उनका विद्युतीकरण नहीं किया गया हो।

(च) : 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शेष गांवों/क्षेत्रों को विद्युत कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाकर उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 16,875 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार विद्युतीकरण स्थिति

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	**राज्य**	**01.04.2015 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव**	**30.06.2017 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव**	**गैर-आवासित गांव**	**30.06.2017 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव**
1	अरुणाचल प्रदेश	1,578	366	-	1,212
2	असम	2,892	2,292	120	480
3	बिहार	2,747	2,407	77	263
4	छत्तीसगढ़	1,080	800	-	280
5	हिमाचल प्रदेश	35	28	7	-
6	जम्मू व कश्मीर	134	32	-	102
7	झारखंड	2,525	1,988	56	481
8	कर्नाटक	39	28	-	11
9	मध्य प्रदेश	472	378	47	47
10	मणिपुर	276	210	-	66
11	मेघालय	912	734	10	168
12	मिजोरम	58	42	4	12
13	नागालैंड	82	78	4	-
14	ओडिशा	3,474	2,525	515	434
15	राजस्थान	495	426	68	1
16	त्रिपुरा	26	26	-	-
17	उत्तर प्रदेश	1,529	1,470	53	6
18	उत्तराखंड	76	24	1	51
19	पश्चिम बंगाल	22	18	-	4
कुल		**18,452**	**13,872**	**962**	**3,618**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अरुणाचल प्रदेश	50	107		174	1,039	175
2	असम	150	190	517	942	1,377	1,218
3	बिहार	350	341	1,664	1,754	735	556
4	छत्तीसगढ़	190	67	449	405	500	294
5	हिमाचल प्रदेश	-	6	20	1	34	27
6	जम्मू व कश्मीर	33	9	26	27	79	5
7	झारखंड	759	161	907	750	1,314	1,104
8	कर्नाटक	-	-	5	-	39	14
9	मध्य प्रदेश	140	86	234	214	191	159
10	मणिपुर	20	192	274	75	149	121
11	मेघालय	39	43	28	1	674	681
12	मिजोरम	10	47	16	16	42	24
13	नागालैंड	-	10	28	-	82	76
14	ओडिशा	-	13	351	1,264	1,586	1,092
15	राजस्थान	59	70	151	163	246	263
16	सिक्किम	-	-	1	-	-	-
17	त्रिपुरा	-	-	13	9	17	17
18	उत्तर प्रदेश	100	59	984	1,305	166	162
19	उत्तराखंड	-	4	-	-	76	18
20	पश्चिम बंगाल	-	-	18	8	14	9
	कुल	**1,900**	**1,405**	**5,686**	**7,108**	**8,360**	**6,015**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बीपीएल घरों को निःशुल्क जारी किए गए विद्युत कनेक्शनों का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	1,319	416,477
2	अरुणाचल प्रदेश	5,764	4,200	-	-	1,024	-
3	असम	156,281	79,004	29,000	22,077	14,025	13
4	बिहार	220,000	190,571	816,480	829,336	666,987	779,668
5	छत्तीसगढ़	160,000	62,172	46,037	38,239	21,956	12,373
6	गुजरात	-	1,726	-	-	1,060	-
7	हरियाणा	6,430	1	6,536	-	7,501	-
8	हिमाचल प्रदेश	-	324	-	-	1,288	-
9	जम्मू व कश्मीर	12,329	5,260	1,400	420	11,730	713
10	झारखंड	87,073	12,022	34,468	6,314	51,423	2,687
11	कर्नाटक	20,935	19,532	7,790	2,735	8,389	89,004
12	केरल	5,152	12,329	15,985	15,657	2,022	9,097
13	मध्य प्रदेश	404,524	173,281	148,773	146,391	49,256	284,748
14	महाराष्ट्र	11,596	6,702	1,492	59	5,835	-
15	मणिपुर	77,711	40,649	6,304	-	7,635	-
16	मेघालय	5,630	1,063	1,587	21	5,751	74
17	मिजोरम	11,677	10,023	-	-	-	447
18	नागालैंड	28,265	8,300	1,154	507	9,314	-
19	ओडिशा	94,991	22,149	12,500	19,477	60,524	42,028
20	पंजाब	-	1,206	-	-	-	-
21	राजस्थान	55,517	16,755	7,624	8,035	55,432	71,643
22	सिक्किम	1,979	1,622	1,850	1,850	-	-
23	तमिलनाडु	9,748	-	7,432	-	8,529	1,192
24	तेलंगाना	-	868	-	-	5,432	-
25	त्रिपुरा	1,278	1,272	1,000	4,435	2,452	23,221
26	उत्तर प्रदेश	81,571	86,750	235,329	337,313	392,671	482,521
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	293	-
28	पश्चिम बंगाल	41,549	1,596	17,259	6,278	8,152	26,857
कुल		**1,500,000**	**759,377**	**1,400,000**	**1,439,144**	**1,400,000**	**2,242,763**

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त की गई और निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित नई डीपीआर की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्यों से प्राप्त की गई डीपीआर की संख्या	निगरानी समिति द्वारा संस्वीकृत डीपीआर की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181	181
2	अंडमान निकोबार	2	2
3	अरुणाचल प्रदेश	1,192	1,192
4	असम	548	548
5	बिहार	38	38
6	छत्तीसगढ़	877	877
7	दादरा एवं नागर हवेली	1	1
8	गोवा	2	2
9	गुजरात	27	27
10	हरियाणा	21	21
11	हिमाचल प्रदेश	12	12
12	जम्मू व कश्मीर	21	21
13	झारखंड	406	406
14	कर्नाटक	33	33
15	केरल	14	14
16	मध्य प्रदेश	172	172
17	महाराष्ट्र	37	37
18	मणिपुर	3	3
19	मेघालय	216	216
20	मिजोरम	8	8
21	नागालैंड	11	11
22	ओडिशा	299	299
23	पुडुचेरी	2	2
24	पंजाब	20	20
25	राजस्थान	33	33
26	सिक्किम	4	4
27	तेलंगाना	10	10
28	तमिलनाडु	27	27
29	त्रिपुरा	8	8
30	उत्तर प्रदेश	75	75
31	उत्तराखंड	26	26
32	पश्चिम बंगाल	19	19
	कुल	**4,345**	**4,345**

****

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 27.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित ट्रांसफार्मरों की राज्य-वार संख्या

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	**राज्य**	**ट्रांसफार्मरों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	16
2	असम	634
3	बिहार	4444
4	छत्तीसगढ़	930
5	हिमाचल प्रदेश	23
6	जम्मू व कश्मीर	6
7	झारखंड	3982
8	कर्नाटक	20
9	मध्य प्रदेश	662
10	मणिपुर	155
11	मेघालय	35
12	नागालैंड	63
13	ओडिशा	1702
14	राजस्थान	673
15	त्रिपुरा	24
16	उत्तर प्रदेश	3264
17	उत्तराखंड	25
18	पश्चिम बंगाल	217
	कुल	**16875**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2048

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियां

2048. श्री धनंजय महाडीकः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री राजीव सातवः
डॉ. जे. जयवर्धनः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री पी.आर. सुन्दरमः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में 9 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की आधे से अधिक परिसंपत्तियां विद्युत उत्पादन क्षेत्र में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी कंपनियां संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण करके या उन्हें ठेके पर चलाने के लिए उनके ऋणदाताओं को सक्षम बनाकर उनके पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हो;

(ङ) क्या राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों का इक्विटी में कमी के पश्चात् आकर्षित मूल्य पर निजी विद्युत संयंत्रों का प्रबंध् ग्रहण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार बैंकों के अलावा राज्य स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों की सहायता से चिन्हित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों हेतु होल्डिंग कंपनी की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ) : जी, नहीं। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा सूचित विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए कुल अग्रिम राशि लगभग 4.71 लाख करोड़ रुपये है और उनमें से अधिकांशत: बाधित परिसंपत्तियां हैं।

सरकार ने लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित ऋण के साथ वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार 34 दबावग्रस्त थर्मल (कोयला आधारित) विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है।

वर्तमान में, एनटीपीसी के पास दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण या अनुबंध के आधार पर प्रचालन करने के लिए उनके ऋणदाताओं को सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने अधिग्रहण हेतु दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के रघुनाथपुर थर्मल विद्युत स्टेशन, फेज-I (2X660 मेगावाट) (एक दबावग्रस्त परिसंपत्ति) को चिह्नित किया है। एनएलसी ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए संभाव्य अधिग्रहण हेतु दो उपयुक्त दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को भी सूचीबद्ध किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के सतत् पुनर्गठन (एस4ए) के लिए स्कीम और (ii) दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम (एसडीआर) जैसी स्कीमों को अधिसूचित किया है। परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए बैंकों द्वारा बरती जाने वाली सम्यक तत्परता और वित्तीय पुनर्गठन से नए इक्विटी निवेशों को लाने के लिए नए प्रवर्तक और राज्य आकर्षित होंगे।

निधि की स्थापना के मुद्दे पर पणधारकों के साथ अन्य विकल्प पर विचार-विमर्श किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2054

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

झारखंड में विद्युतीकरण

2054. श्री जुगल किशोरः

श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 4650 गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार झारखण्ड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 1136 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे; इनमें से 30.06.2017 तक 713 गाँव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं, इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	जिला का नाम	01.04.2015 के अनुसार गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों की संख्या	30.06.2017 को विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
1.	पलामू	409	368
2.	गढ़वा	158	131
3.	लातेहार	200	124
4.	पूर्वी सिंहभूम	22	0
5.	पश्चिमी सिंहभूम	347	90
कुल		1136	713

शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों के विद्युतीकरण के लिए समय-सीमा मई, 2018 है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2069

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ईंधन की कमी

2069. डॉ. सी. गोपाल कृष्णनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की अनेक विद्युत परियोजनाएं कोयले की अनुपलब्धता या ईंधन के रूप में कोयले की कम आपूर्ति के कारण ठप्प पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में परियोजना-वार और राज्य-वार ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं ठप्प पड़ी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन ठप्प पड़ी विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : किसी भी विद्युत यूटिलिटी ने कोयला उपलब्ध न होने या कोयले की कम आपूर्ति के कारण बंद होने की रिपोर्ट नहीं की है। तथापि, नियमित ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं के न होने को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर बल देने के लिए एक कारण के रूप में चिह्नित किया गया है। नियमित कोयला लिंकेज देने के लिए, भारत सरकार ने 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आवंटन नीति, 2017 अर्थात् शक्ति (भारत में कोयला पारदर्शिता प्रयोग में लाने और आवंटन के लिए योजना) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को भविष्य में पारदर्शी बोली प्रक्रिया में किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाता है।

****